

लोक निर्माण विभाग

पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ,उत्तर प्रदेश

जनपद एटा, बाराबंकी एवं बलियां जनपदों में 06 कार्यों के अनुरक्षण हेतु रू0 1 करोड़ 10 लाख 15 हजार की वित्तीय स्वीकृति की गयी प्रदान

उ0प्र0 शासन द्वारा विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद एटा, बाराबंकी एवं बलियां के 06 कार्यों हेतु रू0 01 करोड़ 10 लाख 15 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-5 द्वारा जारी कर दिया गया है।

इन 06 कार्यों में 04 कार्य जनपद बलियां में तथा 1-1 कार्य जनपद एटा व बाराबंकी में होना है। इस धनराशि से बलियां में पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य कराया जायेगा तथा बाराबंकी में शहीद स्मारक कालोनी देवा रोड स्थित आवास संख्या-टाइप-4/6 का जीर्णोद्धार व एटा में पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आवास संख्या-बी-18 की बाउंड्री वाल की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य कराया जायेगा। जारी शासनादेश में प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/नियोजन) लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाय।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जारी शासनादेश में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि कार्यों को तीव्र गति से कराकर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरा कराया जाय। निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

श्री केशव प्रसाद मौर्य

माननीय उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री

दिनांक 10 नवंबर 2020